न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 198 / 2024

अनवान : –

1. नवलकिशोर पुत्र शशीकान्त जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. अनायतुला पुत्र सफी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ढालीया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. महबुबखां पुत्र आमीन खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. अकबर अली पुत्र गफूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
5. नदीम पुत्र हासन खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
6. सुदाम हुसैन पुत्र सलामुदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादीयान**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांक:** 26/08/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 227 / 230 के ख0न0 808 की 2.7820, ख0न0 811 की 4.5150 हैक्ट भूमि कुल 7.2970 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है इसलिए हक हिस्सा व कब्जा काश्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 227 / 230 के ख0न0 808 की 2.7820, ख0न0 811 की 4.5150 हैक्ट भूमि कुल 7.2970 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के [illegible] राजस्व रिकार्ड है का खाता व लगान अलग अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को स[illegible]क नोटिस तामिल [illegible] के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:18:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नोहर Rahul

वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर पर जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व वकील प्रतिवादी स0 5 व 6 ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 227/230 के ख0न0 808 की 2.7820, ख0न0 811 की 4.5150 हैक्ट भूमि कुल 7.2970 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 नवलकिशोर पुत्र शशीकान्त हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार– प0म0 मन्दपुरा के ग्राम मन्दरपुरा के ख0न0 811/1 की 1.8780 हैक्ट बारानी प्रथम कुल 1.8780 हैक्ट बारानी प्रथम भूमि

2 अकबर अली पुत्र गफुरदीन हिस्सा329/27095 जाति मुसलमान (कुम्हार) सा0 देह खातेदार, अनायतुला पुत्र सफी मोहम्मद हि0 29853/54190 जाति मुसलमान सा0 ढालीयातहजिलाहनुमानगढ़ खातेदार, नदीम पुत्र हासन खां हि0 669/54190 जाति मुसलमान (कुम्हार) सा0 देह खातेदार, महबूबखां पुत्र आमीन खां हि0 2276/5419 जाति मुसलमान कुम्हार मकान संख्या– कॉलोनी मन्दरपुरा क्षेत्र/स्थान–मन्दरपुरा शहर–नोहर पिन कोर्ड 335523, जिला हनुमानगढ़ राज0, सुदाम हुसैन पुत्र सलामुदीन हि0 5/10838 जाति मुसलमान कुम्हार सा0 देह खातेदार – प0म0 मन्दरपुरा के ग्राम मन्दरपुरा के ख0न0 808 की 2.7820 हैक्ट बारानी प्रथम, ख0न0 811/2 की 2.6370 हैक्ट बारानी प्रथम कुल 5.4190 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 26/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:18:09 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 198/2024

अनवान : –

1. नवलकिशोर पुत्र शशीकान्त जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम

1. अनायतुला पुत्र सफी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ढालीया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. महबुबखां पुत्र आमीन खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. अकबर अली पुत्र गफूरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
5. नदीम पुत्र हासन खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
6. सुदाम हुसैन पुत्र सलामुदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 198 सन 2024 निर्णय दिनांक 26/08/2025

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 227/230 के ख0न0 808 की 2.7820, ख0न0 811 की 4.5150 हैक्ट भूमि कुल 7.2970 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 नवलकिशोर पुत्र शशीकान्त हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार– प0म0 मन्दपुरा के ग्राम मन्दरपुरा के ख0न0 811/1 की 1.8780 हैक्ट बारानी प्रथम कुल 1.8780 हैक्ट बारानी प्रथम भूमि

2 अकबर अली पुत्र गफुरदीन हिस्सा329/27095 जाति मुसलमान (कुम्हार) सा0 देह खातेदार, अनायतुला पुत्र सफी मोहम्मद हि0 29853/54190 जाति मुसलमान सा0 ढालीयातहजिलाहनुमानगढ़ खातेदार, नदीम पुत्र हासन खां हि0 669/54190 जाति मुसलमान (कुम्हार) सा0 देह खातेदार, महबूबखां पुत्र आमीन खां हि0 2276/5419 जाति मुसलमान कुम्हार मकान संख्या– कॉलोनी मन्दरपुरा क्षेत्र/स्थान–मन्दरपुरा शहर–नोहर पिन कोर्ड 335523, जिला हनुमानगढ़ राज0, सुदाम हुसैन पुत्र सलामुदीन हि0 5/10838 जाति मुसलमान कुम्हार सा0 देह खातेदार – प0म0 मन्दरपुरा के ग्राम मन्दरपुरा के ख0न0 808 की 2.7820 हैक्ट बारानी प्रथम, ख0न0 811/2 की 2.6370 हैक्ट बारानी प्रथम कुल 5.4190 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 26/08/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:18:09 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर